Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.3982, Volume 08, No. 01, January, 2018, pp. 555-558

राजस्थान में महिला विकास योजनाएँ–एक दृष्टि में

डॉ. प्रभुदयाल चौधरी *
राजकुमार चौधरी **

सार

महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्यसरकार की प्राथमिकताओं में है। महिलाओं से संबंधित विशेष समस्याओं को सुलझाने, उनके पिछड़ेपन में सुधार लाने तथा उनमें स्वावलम्बन की भावना का विकास करते हुये उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने एवं पुरूषों के साथ समानता की स्थिति लाने के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत इन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सम्मिलित किया जाता है। ये योजनायें एवं कार्यक्रम महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक पराधीनता, रूढ़ियों एवं परम्पराओं से मुक्ति दिलाती है।

परिचय

स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के शैक्षणिक विकास एवं व्यवस्थात्मक अवसरों के फलस्वरूप अपेक्षात अधिक अनुपात में महिलाओं ने राष्ट्रीय जीवनधारा में भागीदारी के प्रमाण दिये हैं। सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं में महिलाओं ने योग्यता के आधार पर अपने स्थान तथा उपलब्धियों को प्राप्त किया है। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, राष्ट्रीय जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं की उपस्थिति एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। महिलाओं के सामाजिक सुदृढ़ीकरण के लिये किये जा रहे सरकारी प्रयासों के बारे में प्रस्तुत लेख की महत्त स्वयं सिद्ध है।

राजस्थान में महिलाओं की स्थितिः जनगणना 2011 के अंतिम आँकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो देश, देश की कुल जनसंख्या का 5.67 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ में 3.55 करोड़ पुरूष एवं 330 करोड़ महिला जनसंख्या हैं राजस्थान में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 928 महिलाएँ है। डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात (994) वाला जिला एवं धौलपुर न्यूनतम लिंगानुपात (846) वाला जिला है। राजस्थान महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य में साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत है। जिसमें से महिला साक्षरता केवल 52.1 प्रतिशत है। राजस्थान में जालौर सबसे कम महिला साक्षरता (37.5 प्रतिशत) वाला जिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से 2011 की जनगणना में राजस्थान की महिला साक्षरता में बीस गुना वृद्धि हुई है।

उद्देश्य

- राजस्थान में महिलाओं की सामाजार्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- राजस्थान में महिला विकास हेतु सरकारी योजनाएँ।
- महिला विकास पर सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता की जानकारी प्राप्त करना।
- महिला विकास की सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना।

* व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, दौसा, राजस्थान।
** शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

शोध प्रविधिः प्रस्तुत लेख हेतु द्वितीय संमको का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक संमकों में पत्र–पत्रिकाओं एवं वार्षिक प्रतिवेदन (ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिये योजनाएं) से प्राप्त आंकड़ों को सम्मिलित किया गया है।

- **भामाशाह योजनाः** राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं राजकीय सेवाओं के लाभ के प्रभावी वितरण हेतु भामाशाह योजना लागू की गई। इस योजना में महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाया है। महिलाओं को सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट स्थानान्तरण योजना में पेंशन एवं बीपीएल खातें में सीधे ही पैसे स्थानान्तरित किये जाते है।

इसमें विभिन्न योजनाओं के (व्यक्तिगत एवं पारिवारिक) नक एवं गैर नकद लाभ इस योजना से प्राप्त किये जा रहे है। यह लाभ बायोमेट्रिक सत्यापक के बाद ही प्राप्त होते है। इस योजना के अन्तर्गत भामाशाह प्लेटफॉर्म, जनधन, आधार और मोबाइल नम्बर इन तीनों पर आधारित एक इलेक्ट्रोनिक व्यवस्था की गयी है। वर्तमान में इस योजना में 1.37 करोड़ परिवारों, 4.94 करोड़ व्यक्तियों को नामांकित किया जा चुका है।

- **जननी सुरक्षा योजनाः** मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु सितम्बर 2005 में यह योजना लागू की गई। इस योजना का लाभ सभी वर्ग की उन महिलाओं को मिलता है, जो संस्थागत प्रसव कराती हैं। बी.पी.एल. महिलाएं जिनका घरेलू प्रसव हुआ हो, उनको भी इस योजना में लाभ मिलता है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रू. शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रू. की राशि प्रदान की जाती है।

राजस्थान राज्य में अभी भी मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति लाख जीवित जन्मों पर) 244 है, यह योजना कि प्रभावशीलता में कमी का सूचक है।

- **राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजनाः** मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु एवं संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिये प्रसूताओं व एक वर्ष तक की उम्र तक के बीमार नवजात शिशुओं पर होने वाले चिकित्सा खर्च के बोझ को कम किए जाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है।

इस योजना के आंकड़े बताते है कि राज्य में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश में संस्थागत प्रसव को महत्व नहीं दिया जाता है। यह योजना के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता है।

- **मुख्यमंत्री राजश्री योजनाः** राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिये मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है।

योजना के अन्तर्गत देय लाभ केवल उन बालिकाओं को प्राप्त होगा जिनका जनम 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात् हुआ है। ऐसी बालिकाएं जिनके माता या पिता आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी है। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसुता को योजना के परिलाभ देय नहीं होगा। अतः इन आवश्यक पात्रता सम्बन्ध कारणों से कई बालिकाएं योजना के लाभों से वंचित हो गई है।

- **स्वावलम्बन योजनाः** योजना का उद्देश्य निर्धन, विधवा, परित्यक्ताओं, एड्स पीड़ित एवं पिछड़ी महिलाओं को परम्परागत तथा गैर परम्परागत व्यवसायों में आय जनक प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें स्वरोजगार की ओर अग्रसर कर, आत्मनिर्भर बनाना है।

- **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियानः** देश में घटते हुए शिशु लिंगानुपात की प्रवृत्ति को देखते हुये 2015 में भारत सरकार द्वारा इस अभियान कि शुरूआत देश के असंतुलित 100 जिलों में की गई। इस अभियान में राजस्थान के 10 जिलों को शामिल किया गया है।

राजस्थान में वर्तमान में शिशु लिंगानुपात 888 है। सन् 1961 में शिशु लिंग अनुपात में निरन्तर गिरावट दर्ज की गई है। असंतुलित लिंग अनुपात दर्शाता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम हो रही है जो कि जन्म पूर्व एवं जन्म के बाद लड़कियों के विरूद्ध भेदभाव को दर्शाता है।

बालिकाओं की घटती संख्या के बारे में दर्शाये गये आंकड़ों से प्रतीत होता है कि कन्यू भ्रूण हत्या समाज में एक विकृति के रूप में बढ़ रही है। इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है। बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये समन्वित एवं त्वरित प्रयासों की आवश्यकता है।

- **सामूहिक विवाह अनुदान योजनाः** सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने तथा विवाहों में होने वाली फिजूलखर्ची को कम करने के लिये स्त्री धन के रूप में वधू के नाम सावधि जमा राशि दी जाती है।

- **किशोरी शक्ति योजनाः** भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना राज्य के 10 सबला जिलों को छोड़कर 23 जिलों में पढ़ाई छोड़ चुकी 11 से 18 वर्ष की समस्त किशोरियों को पोषणीय और गैर पोषणीय सेवाओं के तहत लाभान्वित किया जाता है।

- **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (सबला)**: सबला योजना भारत सरकार की योजना हैं। योजना राज्य के दस जिलों बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयुपर, झालावाड़, जौधपुर एवं उदयपुर में कुल 114 परियोजनाओं में क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना ने किशोरियों के जीवन को कुछ हद तक प्रभावित किया, किंतु अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा पाई। अब राज्य में इस योजना का विलय 'सबला' योजना के अन्तर्गत कर दिया गया है।

- **निःशुल्क सैनटरी नैपकिन वितरण योजनाः** ''राजस्थान किशोरी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम'' के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं में अध्ययनरत 13 से 19 वर्ष आयुवर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण किया जाता है।

- **पालनहार योजनाः** अनाथ बालक/बालिकाओं के लालन–पालन की व्यवस्था निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के उद्देश्य से इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा पालनहार बनाया जाकर योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

- **निःशुल्क शिक्षाः** राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षण कराया जा रहा है।

योजना के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है या पंचायती राज. संस्थाओं की, इसकी स्पष्टता नहीं है।

- **आपकी बेटी योजनाः** सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक बी.पी.एल. परिवार की समस्त वर्गों की छात्राओं जिनके माता–पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो, को 1500 रू. वार्षिक आर्थिक सहायता देय है।

- **कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयः** ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा 5 उत्तीर्ण बालिकाओं, जो 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की है, ड्रॉप आउट/अनामांकित बालिकाओं, मैला ढ़ोने वाले परिवारों की बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं, विधवाओं की पुत्रियां, अनाथ, शारीरिक शोषण की शिकार इत्यादि वर्ग की छात्राओं को केजीबीवी में कक्षा 6 से 8 तक मेरिट (75 प्रतिशत) के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में राज्य में 200 केजीबीवी संचालित है तथा 10 मेवात बालिका विद्यालय कार्यरत है।

- **शारदे बालिका छात्रावासः** कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से 8वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था इन छात्रावासों के माध्यम से की जाती है।

- **गार्गी पुरस्कार व प्रोत्साहन योजनाः** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10वीं कक्षा से 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त छात्राओं को कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययन करने पर 3000 रू. प्रतिवर्ष पुरस्कार स्वरूप दिये जाते हैं।

- **साईकिल वितरण योजनाः** योजनान्तर्गत अपने निवास से 5 किलोमीटर से कम दूरी वालें राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साईकिल उपलब्ध कराई जाती है।

महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकारी की प्राथमिकताओं में है। राज्य सरकार का महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये कार्यक्रमों के साथ–साथ उनके संरक्षण संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रित है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके सशक्तिकरण की कल्पना समाज के सभी क्षेत्रों में उनकी सार्थक भूमिका प्रोत्साहित किये जाने पर ही यथार्थ में परिणित हो सकती है। राज्य सरकार का यही प्रयास है कि महिलाएं जागरूक होकर विकास की धारा में अपना योगदान दे सकें।

महिला विकास से संबंधित कार्यक्रम/योजनाएं समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन भौतिक आधार पर नहीं किया जाकर इनके गुणात्मक परिणामों पर आधारित होता है। इन कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लाने के साथ–साथ सामाजार्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुये उनके आत्मविश्वास को बल देना तथा महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त विचार–सोच एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- महिला विकास एवं राजकीय योजनाएं, संगीता शर्मा, रितु पब्लिकेशन।
- महिला सशक्तिकरण, डॉ.ऊषा रानी, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली–2016
- आर्थिक भारत की महिलायें, प्रो सरयू जी, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
- वार्षिक प्रतिवेदन–ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान–जयपुर।
- वार्षिक प्रतिवेदन–महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान–जयपुर।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिये योजनाएं, राजस्थान सरकार व यूनीसेफ।।